

2025/304

(4)

श्रीधर / LRC/295 दिनांक 03/10/25

सेवा में,

राज्य सेवा शिबिर अभियान-2025

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

बेगुं (राज.)

विषय: अधिसूचना अनुसार बैंक का नाम परिवर्तित किये जाने बाबत।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय के क्रम में निवेदन है कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 07-04-2025 को जारी असाधारण राजस्व अधिसूचना संख्या CG-DL-1-07042025-262329 के अनुसार राजस्थान ग्रहण्य राष्ट्रीय बैंक एवं बड़ीदा राजस्थान क्षेत्रिय राष्ट्रीय बैंक का सम्मिलित स्वीकृत एवं एकीकृत संस्था का नाम राजस्थान राष्ट्रीय बैंक होगा। अधिसूचना के अन्वय में जहाँ श्रीधर, पटवारी के नाम पटवारी संख्या 21959 नाम श्रीधर में जोमान स्थान जेनावन्दी के खाता संख्या 194, 73, 74 पर बड़ीदा राजस्थान क्षेत्रिय राष्ट्रीय बैंक भूमि रहन दर्ज रेकॉर्ड है, जिसमें अधिसूचना अनुसार राजस्थान राष्ट्रीय बैंक दर्ज करवाने की कृपा करावे।

दिनांक / 2025

राजस्थान प्रशासक

रिपोर्ट पटवारी संख्या 21959 तहसील-बेगुं (राज.)

महोदयजी,

भारत सरकार द्वारा दिनांक 07-04-2025 को जारी असाधारण राजस्व अधिसूचना संख्या CG-DL-1-07042025-262329 के अनुसार राजस्थान ग्रहण्य राष्ट्रीय बैंक एवं बड़ीदा राजस्थान क्षेत्रिय राष्ट्रीय बैंक का सम्मिलित स्वीकृत एवं एकीकृत संस्था का नाम राजस्थान राष्ट्रीय बैंक से परिवर्तित संशोधन किया जाना उचित है।

श्रीधर पटवारी 03/10/25

पटवारी संख्या 21959

कार्यालय तहसीलदार बेगुं, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक राजस्व/2025/.....

दिनांक / 2025

मूल ही प्रार्थना पर श्रीमान् शिबिर प्रभारी महोदय को प्रेषित कर निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में बड़ीदा राजस्थान क्षेत्रिय राष्ट्रीय बैंक के बजाय राजस्थान राष्ट्रीय बैंक किया जाना उचित है।

तहसीलदार बेगुं, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)
(गोपाल जैनगर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बेगुं (राज.)

क्रमांक राजस्व/2025/ 716

दिनांक / 2025

हम रिपोर्ट तहसीलदार बेगुं के राजस्व रेकॉर्ड में संशोधन की स्वीकृति दी जाती है। पटवारी संख्या 03/10/2025 राजस्व रेकॉर्ड में उक्त संशोधन की कार्यवाही कर पालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी,
बेगुं, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)